कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष–स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

वन भवन सी ब्लाक भूतल, तुलसी नगर, लिंक रोड नं–2, भोपाल (म0प्र0)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

वन्यप्राणी बाघ के अवयवों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तस्करी में शामिल गिरोह के मेघालय व मिजोरम निवासी आरोपियों की जमानत याचिकाये माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर से खारिज

प्रेस विज्ञप्ती

(65/25, दिनांक 08.10.2025)

वन्यजीव मुख्यालय के निर्देश पर मध्यप्रदेश के बालाघाट में बाघ का शिकार कर उसकी खाल एवं हड्डियों को अवैध रूप से खरीदकर असम/मिजोरम में बेचने व म्यांनमार के रास्ते चीन तक तस्करी करने वाले संगठित गिरोह पर कार्यवाही करते हुये, आरोपी सोनू सिंह पिता रंजीत सिंह बावरिया (हरियाणा) को स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश की क्षेत्रीय इकाई जबलपुर द्वारा गिरफ्तार कर वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/17 दिनांक 18.02.25 दर्ज कर विवेचना की जा रही है। उक्त प्रकरण में आज दिनांक तक 04 विभिन्न राज्यों के 05 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जिनका विवरण निम्नानुसार है–

1. सोनू सिंह पिता रंजीत सिंह बावरिया निवासी होशियारपुर, हरियाणा
2. लालनेसंग हमार पिता लाल्टलंगथांग निवासी हैप्पी वैली ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय
3. निंग सान लून पति कापलियानमंग निवासी ईस्ट खासी हिल्स, शिलांग मेघालय
4. जामखानकाप पिता थांगजाचिना निवासी जिला ऐजावल, मिजोरम
5. राजकुमार बावरिया पिता भाना बावरिया निवासी बद्दी जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश

प्रकरण की विवेचना के दौरान बालाघाट से बाघ के अवयवों की खरीद–फरौख्त में शामिल आरोपी लालनेसंग हमार पिता लाल्टलंगथांग निवासी हैप्पी वैली ईस्ट खासी हिल्स, मेघालय एवं आरोपी जामखानकाप निवासी थुम्पुई जिला आईजोल (मिजोरम) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। उक्त आरोपी जामखानकाप के विरूद्व वनमंडल राजुरा महाराष्ट्र में भी वन अपराध क्रमांक 8893/222322/2025 बाघ के शिकार का प्रकरण दर्ज है साथ ही उक्त आरोपी के विरूद्व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा मनीलॉड्रिंग केस में भी विवेचना की जा रही है। उक्त दोनो आरोपी अपनी गिरफ्तारी दिनांक से ही जेल में निरूद्ध हैं।

उक्त आरोपी लालनेसंग के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में जमानत हेतु प्रथम आवेदन क्रमशः MCRC. No-39930/2025 प्रस्तुत किया व आरोपी जामखानकाप के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर में जमानत हेतु तृतीय आवेदन MCRC. No-36365/2025 प्रस्तुत किये गये। माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यप्राणी बाघ के अवयवों की तस्करी करने वाले इन दो आरोपियों की जमानत याचिकाऐं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 50(8) के तहत दर्ज आवेदक के बयान की विषय वस्तु को देखते हुये **भारतीय नागरिक सुरक्षा सहिता की धारा 483 के तहत खारिज की गई।** प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्या0 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष– एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल